कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर

क्रमांक–लेखा / 2016–17 / 										दिनांक /

सीमित बोली सूचना

(बोली सं................. / 2016–17)

इस कार्यालय द्वारा कृषि योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को अन्तर / अन्तरा राज्य का कृषक भ्रमण हेतु 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर 5.00 लाख से कम की आपूर्ति वर्ष 2016–17 में जब आवश्यकता हो के आधार पर किराये पर लेने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों / ट्रैवल एजेन्सी तथा वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली फर्मो से सीलबन्द लिफाफे में सीमित बोली आमन्त्रित की जाती है। बोली दिनांक 29.9.2016 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे बाद गठित उपापन कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा को http://SPPP.Raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागीय वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

sd/
(मोहन लाल भटेश्वर)
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद,सवाई माधोपुर

क्रमांक–लेखा / 2016–17 / 3468-74 										दिनांक / 9-9-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड, भरतपुर।
2. श्रीमान सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त निविदा (बोली) अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / SPPP.Raj.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. सम्बन्धित सप्लायर्स..।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद,सवाई माधोपुर

जारी करने की दिनांक.......... प्रपत्र क्रमांक .... निविदा शुल्क

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर

निविदा (बोली) प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर
2	सीमित बोली सूचना सं.	.../2016–17 कमांक.............................दिनांक..................
3	बोली प्राधिकारी	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	29.9.2016 दोपहर 01.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	29.9.2016 दोपहर 03.00 बजे बाद
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं.................................मोबा.नं......................
7	कार्य का विवरण	वर्ष 2016–17 में जब आवश्यकता हो के आधार पर अन्तर/अन्तरा राज्य का कृषक भ्रमण हेतु 52 सीटर (3X2) सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु।
8	अनुबंध अवधि	वर्ष 2016–17 में जब आवश्यकता होने के आधार पर
9	प्रस्तावित दर	**बस का प्रकार:** 3X2 पुश बैक 52 सीटर सेमीडीलक्स बस **वाहन का रजि. नं.:** **दर प्रति किलोमीटर सभी खर्चे एंव करों (डीजल/ऑयल/टोल आदी) सहित (अन्य राज्यों के वास्तविक कर को सम्मिलित नहीं किया गया है):** अंको में.............................. शब्दों में..............................
10	निविदा शुल्क रू. 200/–	रसीद सं..............................दिनांक.........................
11	अमानत राशि रू. 10000/–	डीडी/रसीद सं.........................दिनांक.....................

मैने/हमने उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो क मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने का प्रमाण पत्र मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता ....

फोन नं/मोबा.नं...

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर

सीमित बोली सं. ________/2016–17 अन्तर/अन्तरा राज्य का कृषक भ्रमण हेतु सेमी डीलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्तें–

नोटः– निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढने के पश्चात ही निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा निविदा के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक निविदादाता वाहन किराये की दर उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में जिसपर " सेमी डीलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु सीमिति निविदा " लिखकर ही प्रस्तुत करें। खुली निविदा पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. वाहन किराये (अनुबन्ध) हेतु निविदाएं उन्हीं निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार की जावेगी जो राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग में पंजीकृत है।
3. निविदादाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न दस्तावेज वाहन के साथ आवश्यक रूप से रखने होंगेः–
   1. वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र
   2. वाहन चालक का वैद्य अनुज्ञापत्र
   3. वाहन कर चुकता प्रमाण पत्र
   4. वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र
   5. वाहन का बीमा सम्बन्ध प्रमाण पत्र
   6. वाहन प्रदूषणं रहित होने का प्रमाण पत्र
   7. PAN CARD की प्रति
4. वाहन टैक्सी परमिट होकर, अच्छी कण्डीशन में होना चाहिए एवं 6 वर्षो से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
5. वाहन Comperhensive बीमित होना चाहिए।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गए रूट चार्ट के अनुसार ही कृषक भ्रमण के दौरान वाहन को ले जाना होगा। दो अन्तर राज्यीय एवं 1 राज्य स्तरीय कृषक भ्रमण तथा दिनांक 09 से 11 नवम्बर 2016 मे प्रतिदिन 6–8 एक दिवसीय कृषक भ्रमण सवाई माधोपुर जिले के पंचायत समिति मुख्यालयों से जयपुर शहर के करवाये जाने है। अन्तर राज्यीय कृषक भ्रमण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एवं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रस्तावित हैं जिनमें परिवर्तन भी संभव है।
7. निविदाएं वास्तविक वाहन मालिक/फर्म के प्रोपराईटर द्वारा ही दी जाये।
8. वाहन किराये की दरें प्रति कि.मी. से प्रस्तावित की जावें जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मिलित हों। किराया किमी. में डीजल व अन्य व्यय सम्मिलित हैं केवल अन्य राज्यों के वास्तविक कर के अलावा अन्य कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा। अर्थात प्रस्तावित दर में वाहन की परिचालन लागत राजस्थान राज्य के नियमानुसार देय सभी कर एवं सभी स्थानों पर देय टोल टेक्स आदि शामिल होंगे।
9. वाहन के उपयोग के लिए किये जाने वाले डीजल एवं अन्य खर्चो का भुगतान वाहन मालिक (निविदादाता) द्वारा वहन किया जावेगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
10. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान आदि होने पर, इनका व्यय मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे, रात्रि विश्राम व वाहन पार्किंग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
12. वाहन चालकर सदाचारी हो, नशीले पदार्थो का प्रयोग नहीं करता हो व व्यवहार कुशल रूप में उपस्थित हो।
13. वाहन संचालन पर किमी की गणना प्रारम्भिक रिर्पोटिंग स्थान से वापस यात्रा समाप्ति पर उसी स्थान तक की जावेगी तथा लॉग बुक का संधारण किया जाकर भ्रमण प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।
14. निविदा फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किय जावेगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक है, तथा शर्तो एवं समझौतें पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है।
15. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक है।
16. निविदाओं में निविदादाता द्वारा लगाई गई शर्ते मान्य नहीं होगी।
17. दरें वर्ष 31.3.2017 तक ही मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।

18. किरायें पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या में आवश्यकतानुसार मांग में परिवर्तन किया जा सकता है।
19. कार्य संतोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा, तथा नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी।
20. उपापन कमेटी किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु व निविदा शर्तो में संशोधन हेतु सक्षम होगी।
21. विवाद की स्थिति में न्यायलय परिक्षेत्र, सवाई माधोपुर होगा।
22. निर्धारित समय/अवधि में कार्य सम्पादन नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी एवं हानियो की वसूल की जावेगी।
23. निविदादाता अपनी निविदा को या निविदा के किसी भाग को अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा तथा सबलेट पर भी नहीं देगा।
24. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने या संचालित वाहन खराब होने पर निविदादाता/ट्रांसपोर्टर की रिस्क पर बाजार दर से दूसरे वाहन किराये पर ले लिये जायेंगे तथा निविदा में स्वीकृत दर तथा दूसरे वाहन मालिकों को देय वास्तिविक किराये की अन्तर राशि की वसूली निविदादाता से की जावेगी।
25. दुर्गम स्थान जहां बड़ा वाहन जाना संभव नहीं हो वहां पहुंचने हेतु अन्य साधन की व्यवस्था वाहन मालिक द्वारा निविदा में दी गई दरों पर करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
26. वाहन आवश्यकता के अनुसार नियत तिथि को नियत स्थान पर उपलब्ध करवाने होंगें, जिसके लिये अलग से समय पर लिखित आदेश दे दिये जावेंगे।
27. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।

उपरोक्त कम संख्या 01 से 27 तक शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है, जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर